# मध्यप्रदेश विधान सभा

## जुलाई-अगस्त, 2007 सत्र

### दैनिक कार्य सूची

**गुरुवार, दिनांक 26 जुलाई, 2007 (श्रावण 4, 1929)**

**समय 10.30 बजे दिन**

### 1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

### 2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री राघवजी, वित्त मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन दिनांक 31 मार्च, 2006 को समाप्त वर्ष (सिविल) पटल पर रखेंगे.

(2) श्री बाबूलाल गौर, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम मर्यादित, भोपाल का 43वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2004-2005 पटल पर रखेंगे.

### 3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री ओमप्रकाश पुरोहित (वकील), सदस्य, मंदसौर जिले में जंगली तुलसी की खेती के नाम पर कृषकों के साथ धोखाधड़ी होने की ओर किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य, पन्ना जिले के पवई में एक व्यक्ति की हत्या होने की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री बृजेन्द्र तिवारी, सदस्य, ग्वालियर जिले के गिर्द क्षेत्र के डाकू पीड़ित परिवारों को मदद देने में भेदभाव किये जाने की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के ग्राम चिचली में फायलेरिया नामक रोग का प्रकोप होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

### 4. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 119-लखनादौन (अ.ज.जा.) से निर्वाचित सदस्य, श्रीमती शशि ठाकुर को विधान सभा के जुलाई-अगस्त, 2007 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा.

### 5. प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

श्री जगदीश मुवेल, सभापति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का सोलहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे तथा निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

"सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के सोलहवें प्रतिवेदन से सहमत है.".

### 6. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य मंत्री, न्यायालय फीस (मध्यप्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 (क्रमांक 19 सन् 2007) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(2) श्री बाबूलाल गौर, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 (क्रमांक 18 सन् 2007) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

**निर्धारित समय**
**2 घन्टे 30 मि.**
**(शेष 1 घन्टा 45 मि.**

### 7. प्रतिवेदन पर चर्चा ...... (क्रमशः)

मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2004-2005 पर चर्चा का पुनर्ग्रहण.

**डॉ. ए.के. पयासी**
**प्रमुख सचिव,**
**मध्यप्रदेश विधान सभा.**

**भोपाल :**
**दिनांक 25 जुलाई, 2007**